



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 26 जुलाई, 2017 / 4 श्रावण, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th July, 2017

No. Ind-B- (F) 10-2/2017 .—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Committee for expeditious processing and disposal of mineral concession proposals of the State for seeking previous approval of the Central Government under the proviso of Section 10 A (2) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, as under:—

1. Director of Industries,
Himachal Pradesh.
2. Regional Controller of Mines,
Government of India, Ministry of Mines,
Indian Bureau of Mines, 100 Old Nehru Colony,
Dehradun, Uttarakhand.
3. Superintending Geologist,
Geological Survey of India,
Plot No. 3, Sector-33B, Chandigarh-160020.

The Constitution of the Committee aims to avoid delay for want of information/documents in accordance with the provisions of the Act and the rules and guidelines framed there under. In order to expeditious finalization of mineral concession proposals, the Committee shall thoroughly scrutinize the saved proposals before sending it to the Ministry of Mines and shall also give its considerable views and replies on the existing proposals.

By order,
DR. A. J. V PRASAD
Addl. Chief Secretary (Industries).

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2017

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-9/2015-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल परछोड़, तहसील भटियात, जिला चम्बा में फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
चम्बा	भटियात	परछोड़	1256/714	00-01-00
			223	00-05-00

			1257/714	00-08-00
			219	00-05-00
			1258/714	00-03-00
			218	00-05-00
			1314/1039/1	00-07-00
			1229/458	00-01-00
			541/2	00-09-00
किता-9				02-04-00

आदेश द्वारा,
अनुराधा ठाकुर,
प्रधान सचिव।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th July, 2017

No. Home-C(B)10-1/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute State Welfare Board for the welfare of Ex-CAPF(Central Armed Police Forces) as under:—

- | | |
|---|---------------------|
| 1. The Chief Minister | .. Chairman |
| 2. The Chief Secretary | .. Member |
| 3. The ACS/Principal Secretary/ Secretary (Personnel) | .. Member |
| 4. The ACS/Principal Secretary/ Secretary(Sainik Welfare) | .. Member |
| 5. The ACS/Principal Secretary/ Secretary(Finance) | .. Member |
| 6. The ACS/Principal Secretary/ Secretary(Home) | .. Member |
| 7. The Director General of Police, HP | .. Member |
| 8. The Director, Sainik Welfare, Hamirpur | .. Member |
| 9. Two Senior Officers each from ITBP, CISF, CRPF, BSF, SSB and Assam Rifles. | .. Member |
| 10. The Special/ Joint/Deputy/Under Secretary (Home) | .. Member-Secretary |

The Board shall look after to the welfare of Ex-CAPF, their dependents and also address their grievances. The Board shall meet at least once in a year.

The tenure of the Board shall be for 3 years from the constitution of the board.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

**HOME DEPARTMENT
(Section-D)**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July 2017

No.Home-D-A(1)-1/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 01(one) post of Additional Superintendent of Police(Addl.SP) for Police District Baddi, District Solan in the pay band of Rs.15600-39100+5400 (GP) in the cadre of H.P. Police Services with immediate effect.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Home).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA- 171001

CHARGE RELINQUISHMENT REPORT

Shimla, the 15th July, 2017

No. HHC/GAZ/14-217/95-I.—Pursuant to Registry Notification No. HHC/GAZ/14-42/74-VII-18492-18517, dated 27-06-2017, I, Rakesh Chaudhary, hereby relinquish the charge of the post of Registrar (Administration), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, today the 15th day of July, 2017, Afternoon.

RAKESH CHAUDHARY,
Registrar (Administration).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2017

संख्या टी0सी0पी0-(बी)2-1/2012 (रुलज) टी0पी0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में, **नगर एवं ग्राम योजनाकार, वर्ग-I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर एवं ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(ii) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी सी पी-(ए)3-2/97 तारीख 22 दिसम्बर, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में नगर एवं ग्राम योजनाकार, वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—नगर एवं ग्राम योजनाकार
2. पद (पदों) की संख्या.— 08 (आठ)
3. वर्गीकरण.—वर्ग— I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.— (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:—पे बैंड: 4 ₹15600—39100/— जमा ₹7600/— ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : ₹ 23200/— प्रतिमास। स्तम्भ 15—क में दिए गए ब्योरे के अनुसार।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा, जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता (ए).—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लैनर इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अरबन या सिटी या टाउन या रीजनल या हाउसिंग या कन्ट्री या रुरल या इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट या रुरल तथा अरबन या इन्वाइरन्मेन्टल प्लानिंग में एम. टैक/एम.प्लानिंग/स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।

(ii) नगर और ग्राम योजना विधियों या नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा गठित किसी प्राधिकरण के अधीन उपरोक्त यथावर्णित क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता.—(i) शहरी और क्षेत्रीय योजना परियोजनाओं की विनिर्मिति/कार्यान्वयन में पर्याप्त अनुभव रखता हो।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या : 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(i) सीधी भर्ती की दशा में.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अर्धवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में.—एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

10. भर्ती की पद्धति.— भती, सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) पचास प्रतिशत उन सहायक नगर योजनाकार(रों) में से प्रोन्नति द्वारा जो अरबन या सिटी या टाऊन या रीजनल या हाऊसिंग या कन्ट्री या रुरल या इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट या रुरल और अरबन या इन्वाइरन्मेन्टल प्लानिंग में मान्यता प्राप्त एम. टैक/एम. प्लानिंग/स्नातकोत्तर की उपाधि रखते हों और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर प्रवर्ग (ii) में से।

(ii) पच्चीस प्रतिशत उन सहायक नगर योजनाकार(रों) में से प्रोन्नति द्वारा जो आर्किटेक्चर या (प्लानिंग) अथवा सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों और जिनका चार वर्ष का नियमित

सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर प्रवर्ग (iii) में से।

(iii) पच्चीस प्रतिशत उन सहायक नगर योजनाकार(रों) में से प्रोन्नति द्वारा जो आर्किटेक्चर एस्सिस्टेंटशिप या सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर श्रेणी (i) में से।

(iv) उपरोक्त प्रवर्ग (i), (ii) और (iii) के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार/अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत नगर व ग्राम योजनाकार के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर, जो अर्बन या सिटी या टाऊन या रीजनल या हाऊसिंग या कन्ट्री या रुरल या इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट या रुरल तथा अर्बन या इन्वाइरन्मेन्टल प्लानिंग में मान्यता प्राप्त एम. टेक/एम. प्लानिंग स्नातकोत्तर उपाधि रखते हों :

परन्तु नगर एवं ग्राम योजनाकार के पद को भरने के लिए निम्नलिखित आठ बिन्दु 'पद' आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, पांचवां और छठा	सहायक नगर योजनाकार (i)
तीसरा और सातवां	सहायक नगर योजनाकार (ii)
चौथा और आठवां	सहायक नगर योजनाकार (iii)

टिप्पण.—जब कभी दी गई प्रतिशतता के अनुसार समस्त प्रवर्गों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया जाता है तो रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिसमें से पद रिक्त होगा।

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिस

परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेंगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी.—

I. संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना विभाग में नगर एवं ग्राम योजनाकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रशासनिक सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

II. संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार को ₹ 23200/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर

होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 696/—(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पर पर नियुक्ति के लिए चयन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

VI. करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 23200/— प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 696/—रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसूति/प्रसूति जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ. आर.—एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथासंशोधित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध— 'ख'

नगर एवं ग्राम योजनाकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, प्रशासनिक सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार उक्त नगर व ग्राम योजनाकार के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी इसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 23200/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.
.....
(नाम व पूरा पता)

2.
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.
.....
(नाम व पूरा पता)

2.
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-1/2012 (Rules)TP. dated 17-7-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 2017

No. TCP-(B)2-1/2012(Rules)TP.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Town & Country Planner, Class-I** (Gazetted) in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure-“A” attached to this notification, namely.—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Town & Country Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette, Government of Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(i) The Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Town & Country Planner, Class-I (Gazetted) Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified *vide* this Department's Notification number TCP-A(3)-2/97 dated 22-12-2003, are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.

By order,
MANISHA NADA,
Additional Chief Secretary (TCP).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TOWN & COUNTRY PLANNER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, H.P.

1. **Name of the post.**—Town & Country Planner
2. **Number of post(s).**—08 (Eight)
3. **Classification.**— Class-I (Gazetted)
4. **Scale of pay.**— (i) Pay-scale for regular incumbents:—Pay Band-4 ₹15600—39100 + ₹7600/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees:— ₹ 23,200/-as per details given in Column 15-A.
5. **Whether “Selection Post” or “Non- Selection Post.”**—Selection.
6. **Age for direct Recruitment.**— 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies

shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) *Essential Qualification(s):*—(i) M.Tech/M.Planning/ Post Graduate Degree in Urban or City or Town or Regional or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Transport or Rural & Urban or Environmental Planning or its equivalent from a recognized University or an Institute duly recognized by the Institute of Town Planner India:

(ii) Post qualification five years experience in the field as mentioned above under any authority constituted under Town and Country Planning Laws or in the Town & Country Planning Department.

(b) *Desirable Qualification:*—(i) Should possess adequate experience in formulation/ implementation of Urban and Regional Planning Projects.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)?.—*Age.*— Not applicable.

Educational Qualification.—Yes as prescribed under Column No.11 below

9. Period of probation, if any.—(i) *Direct recruitment.*—(a) Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) *Promotion.*—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—(i) 50% by promotion from amongst the Assistant Town Planner(s) who possess a recognized M.Tech /M. Planning/Post Graduate Degree in Urban or City or Town or Regional or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Transport or Rural & Urban or Environmental Planning with 03 (Three) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, rendered, in the grade failing which from category (ii).

(ii) 25% by promotion from amongst the Assistant Town Planner(s) who possess a recognized Degree in Architecture or Planning or Civil Engineering with 04 (Four) years regular or regular combined with continuous *ad hoc* service if any, rendered, in the grade failing which from category (iii).

(iii) 25% by from amongst Assistant Town Planner(s) who possess a recognized Diploma in Architecture Assistantship or Civil Engineering with 05 (Five) years' regular or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade failing which from category (i).

(iv) Failing (i), (ii) and (iii) above on secondment basis from amongst the incumbents of the post of Town & Country Planner possessing a recognized M.Tech/M.Planning/Post Graduate Degree in Urban or City or Town or Regional or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Transport or Rural & Urban or Environment Planning and working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government/other State Governments/Central Government Departments :

Provided that for filling up the post of Town & Country Planner, the following 08 points "post" based roster shall be followed.

Roster Point No.	Category
Ist, 2nd, 5th & 6th	Assistant Town Planner (i)
3rd & 7th	Assistant Town Planner (ii)
4th & 8th	Assistant Town Planner (iii)

Note.—As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from amongst the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen

recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective test)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, *etc.* of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Town & Country Planner in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Administrative Secretary,(TCP) to the Government of H.P. Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Town & Country Planner appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 23200/-per month. (which shall be equal to minimum of the payband + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 696/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary, Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective test)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 23200/-per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 696/-(3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation .—The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste / Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Town & Country Planner and the Government of Himachal Pradesh through the Administrative Secretary, Town & Country Planning Department

This agreement is made on this day of in the year.....Between Sh/Smt.....s/o/d/oShri.....r/o.....,contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY),

AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary, Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Town & Country Planner on contract basis on the following terms & conditions:—

- (i) That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Town & Country Planner on contract basis for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on and information notice shall not be necessary :

Provided that for extension/renewal of contract period, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

- (ii) The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 23200/- per month.
- (iii) The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
- (iv) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

- (v) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but –the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contractual appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (vi) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (vii) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant

beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

(viii) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of pay scale.

(ix) The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.
.....
(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY)
2.
.....
.....
(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मार्च, 2011

संख्या टी0सी0पी0-2(बी)2-1 / 2008(स्था)रुलज / टी पी.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-ए(3)-2 / 97 तारीख 22-12-2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर व ग्राम योजनाकार (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध 'क' में:—

स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:— पे बैंड 4 ₹ 15600-39100 रुपए जमा 7600 रुपए ग्रेड पे;

(ii) संविदा पद नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:

“स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 23200 रुपए प्रतिमास।”

(2) स्तम्भ संख्या: 8 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“आयु.— लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता.—जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।”

(3) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे”।

(4) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सहायक नगर योजनाकारों में से प्रोन्नति द्वारा जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों:—

- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में उपाधि या डिप्लोमा, या
- (ii) वास्तुकला में माध्यमिक परीक्षा पास की हो जो वास्तुकला की उपाधि या डिप्लोमा की ओर प्रेरित करे, या
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर एवं ग्राम योजना में माध्यमिक परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो, या
- (iv) सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा और उपरोक्त दोनों में से किसी एक में परीक्षा पास करने के पश्चात् नगर योजना या वास्तुकला संगठन या किसी अर्हता प्राप्त नगर योजनाकार/वास्तुविद् के अधीन रेखाचित्र कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो, या
- (v) वास्तुकला/भू-दृश्य वास्तुकला में उपाधि/नैशनल डिप्लोमा, या
- (vi) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र/अर्थ शास्त्र/भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नगर एवं ग्राम योजना में उपाधि/डिप्लोमा, और जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सहायक नगर योजनाकारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सहायक नगर योजनाकार व योजना अधिकारी का 12 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें सहायक नगर योजनाकार के पद पर तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थानों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।”

(5) स्तम्भ संख्या 15—क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

I. संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में नगर व ग्राम योजनाकार, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ा या जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार को 23200/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 700/—रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नगर व ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 23200/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 700/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर.—एस. आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

उपाबन्ध—“ख”

नगर व ग्राम योजनाकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव (नगर व ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ;जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....
..... को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने नगर व ग्राम योजनाकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार नगर एवं ग्राम योजनाकार के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

- परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 23200/—रुपए प्रतिमास होगी।
 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
 4. संविदा पर नियुक्त नगर व ग्राम योजनाकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त नगर व ग्राम योजनाकार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त नगर एवं ग्राम योजनाकार कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./ जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.

 (नाम व पूरा पता)

2.

.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1.

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

ANNEXURE “A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TOWN & COUNTRY
PLANNER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING
DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the post.**— Town & Country Planner
2. **Number of post(s).**— 08(Eight)
3. **Classification .**—Class-I (Gazetted) Non-Ministerial Services
4. **Scale of pay.**—(i) *Pay-scale for regular incumbents:*—Pay Band-2 ₹ 15600-39100 + ₹ 7600/- Grade Pay.
(ii) *Emoluments for contract employees.*— ₹ 23200/-as per details given in Column 15-A.
5. **Whether Selection Post or Non- Selection Post.**—Selection.
6. **Age for direct Recruitment.**—45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) *ESSENTIAL QUALIFICATION(S).*—(i) Should possess Post Graduate/M.Tech Degree in Urban/City/Town/Regional Planning or its equivalent from an Institute/University duly recognized by the Institute of Town Planners, India.

(ii) At least five years' experience in Town & Country Planning Department/any Authority constituted under the Town & Country Planning Laws.

(b) *DESIRABLE QUALIFICATION(S).*—(i) Should possess adequate experience in formulation/implementation of Urban and Regional Planning Projects.

(ii) Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)?.—Age.— Not applicable.

Educational Qualification.—Yes as prescribed under Column No.11 below

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in column 15-A and be governed by the service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—(i) 50% from amongst the Assistant Town Planner who possess M.Tech/B.Tech Degree in Urban/City/Town/Regional Planning and having 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any, in the grade.

(ii) 25% from amongst the Assistant Town Planners who possess Degree in Architecture or Civil Engineering and having 05 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, rendered, if any, in the grade.

(iii) 25% from Assistant Town Planners who possess a recognized Diploma in Architecture Assistantship or Civil Engineering and having 07 years' regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade failing.

(iv) On secondment basis from amongst the incumbents of this post possessing a recognized M.Tech/B.Tech Degree in Urban /City /Town / Regional Planning or degree in Architecture or Civil Engineering and working in the identical pay scale in other H.P. Government/other States/Central Government Departments:

Provided that for filling up the post of Town & country Planner the following 08 points recruitment roster shall be followed.

Roster Point No.	Category
1st, 2nd, 5th & 6th	Assistant Town Planner (i)
3rd & 7th	Assistant Town Planner (ii)
4 th & 8th	Assistant Town Planner (iii)
Note. —The roster will be repeated after every 8 th vacancy till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from amongst the category which vacates the post.	

(2) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen

recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(3) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(c) Under this policy the Town & Country Planner in the Department of Town & Country Planning, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(d) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP Public Service Commission.—The Administrative Secretary, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Town & Country Planner appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 23200/-per month.(which shall be equal to minimum of the payband + grade pay). An amount of ₹ 696/-(3% of the minimum

of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary, Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of *viva-voice* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(h) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹23200/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 696/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(i) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(j) Contractual Town & Country Planner will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(k) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but – the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contractual appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness. Fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.

(l) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(m) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(n) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.

(o) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste / Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Town & Country Planner & the Government of Himachal Pradesh through Secretary (TCP) to the Govt. of H.P.

This agreement is made on this day of in the year..... Between Sh./Smt. S/o/d/o Shri.....r/o....., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY),

AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary (TCP) to the Govt. of H.P., (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Town & Country Planner on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Town & Country Planner on contract basis for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last

working day *i.e.* on and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be extended/renewed.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 23200/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Town & Country Planner will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Town & Country Planner. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Town & Country Planner will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

 (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2.

 (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०

1. अनिल कुमार सपुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव धमाणी, डा० रोपड़ी, तप्पा लोहडर, तह० बड़सर, जिला हमीरपुर हि० प्र०।
2. ममता देवी सुपुत्री जमालदीन, निवासी गांव लददा, डा० लददा, तह० घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 28-08-2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
 विवाह पंजीकरण अधिकारी,
 बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

**ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा,
जिला शिमला, हि0 प्र0**

श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री लायक राम, निवासी हिराह, डा0 टिक्करी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्दर सिंह ने अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर, ग्राम पंचायत धनत में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है:—

रूवल लोथटा की जन्म तिथि 07-10-2013

हैपी लोथटा की जन्म तिथि 01-12-2014

अतः ग्राम पंचायत धनत, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-07-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धनत को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोही राम चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा,
जिला शिमला, हि0 प्र0**

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी बेहरोग, डा0 मंधाना, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री श्याम सिंह ने अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत मंधाना में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है:—

अजय सिसोदिया की जन्म तिथि 19-06-2002

अतः ग्राम पंचायत मंधाना तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-07-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मंधाना को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोही राम चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा,
जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री रतन सिंह पुत्र श्री जोग राम, निवासी बादुर, डा0 पवान, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रतन सिंह ने अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर, ग्राम पंचायत पवान में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है:—

अंकिता की जन्म तिथि 25-12-2003

अंशुल बिक्टा की जन्म तिथि 15-02-2006

सनेहा की जन्म तिथि 10-05-2008

अतः ग्राम पंचायत पवान, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-07-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पवान को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोही राम चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,
जिला शिमला, हि० प्र०**

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दौलत राम, निवासी तारापूर, डा० पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हि० प्र०

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे

हर खास व आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री बलवीर सिंह ने अदालत में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर, ग्राम पंचायत पौडिया में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है:—

विकल की जन्म तिथि 01-02-2001

अतः ग्राम पंचायत पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हि० प्र० की जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-07-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें दिगर सूरत में आवेदन—पत्र में जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पौडिया को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोही राम चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Tashi Sandup, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla, H. P.**

Shri Dhani Ram s/o Late Shri Atma Ram, Village Badoth, Gram Panchayat Ghoond, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Dhani Ram s/o Late Sh. Atma Ram, Village Badoth, Gram Panchyat Ghoond, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved as application before the undersigned stating therein that he is residing at Village Badoth, Gram Panchayat Ghoond, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. and has stated that his date of birth is 17-01-1957, but it has wrongly been

recorded as 01-07-1959 in the record of Gram Panchayat and has requested to issue order to the Secretary Gram Panchayat Ghoond, Tehsil Theog for correction of date of birth.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned date of birth, may submit objections in writing in this court on or before 29-07-2017 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 03-07-2017.

Seal.

TASHI SANDUP, HAS
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, H.P.

ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल,
जिला शिमला, हि० प्र०

श्री पदमा राम पुत्र श्री शेरू, निवासी गांव धनेवरी, डाकघर नकोडापुल, परगना हामल, तहसील चौपाल,
जिला शिमला, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—कागजात माल में नाम की दुरुस्ती, हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

ईशतहार :

श्री पदमा राम पुत्र श्री शेरू, निवासी गांव धनेवरी, डाकघर नकोडापुल, परगना हामल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम पदमा राम पुत्र श्री शेरू है परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल धनेवरी, परगना हामल में मदन लाल पुत्र शेरू दर्ज है जो कि गलत है। दुरुस्ती की जावे।

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 16-08-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित करके नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यान्वयन कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 14-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मस्त राम बघाईक,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०)।

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 2/XIII-B-I/2017

तारीख मरजुआ : 14-07-2017

श्री प्रेम लाल

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये दुरुस्ती नाम।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री प्रेम लाल पुत्र तुलसिया, निवासी महाल मूलभज्जी, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेमा पुत्र तुलसिया दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में नाम प्रेम लाल पुत्र श्री तुलसिया दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 18-08-2017 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-07-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सुन्नी।

Before D. S. Kaushal, Executive Magistrate, Tehsil Kumarsain, District Shimla H.P.

Shri Chaman Lal s/o Late Shri Faquir Chand, r/o Village Damari, P. O. Kumarsain, District Shimla, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Chaman Lal s/o Late Shri Faquir Chand, r/o Village Damari, P. O. Kumarsain, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned under Act *ibid* along with affidavit and other documents that he intends to enter the name of his son namely Ajay Kumar along with date of birth 10-05-2004 in the record of Gram Panchayat Kumarsain, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 21-08-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18-07-2017

Seal.

D. S. KAUSHAL,
Executive Magistrate,
Tehsil Kumarsain, District Shimla, H. P.

**ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश**

ब मुकद्दमा : श्री बाबू राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी ग्राम डन्डोर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बाबू राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी ग्राम डन्डोर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी की पुत्री का नाम राधा देवी की जन्म तिथि 14-07-2011, ग्राम पंचायत थाना कसोगा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत थाना कसोगा तथा जिला रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थाना कसोगा के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डन्डोर व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम राधा देवी की जन्म तिथि 14-07-2011 ग्राम पंचायत थाना कसोगा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2017 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश**

ब मुकद्दमा : श्री सूरत राम पुत्र श्री सालकू राम, निवासी ग्राम जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सूरत राम पुत्र श्री सालकू राम, निवासी ग्राम जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी के पुत्र का नाम संदीप की जन्म तिथि 02-03-2007, ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत जरग तथा जिला रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति

प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जरग व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम संदीप की जन्म तिथि 02-03-2007 ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2017 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 11-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री करम चन्द पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम भरायण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री करम चन्द पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम भरायण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी की पुत्री का नाम भारती की जन्म तिथि 14-09-2013, ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत कोटला मोलर तथा जिला रजिस्ट्रार, (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भरायण व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम भारती की जन्म तिथि 14-09-2013 ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2017 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हि0 प्र0**

ब मुकद्दमा :

श्री जगत सिंह पुत्र श्री धौकलू राम, निवासी ग्राम खाला क्यार, ग्राम पंचायत खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जगत सिंह पुत्र श्री धौकलू राम, निवासी ग्राम खाला क्यार, ग्राम पंचायत खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में जगत सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा खाला क्यार, पटवार वृत्त खाला क्यार में जग्गू दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफा ब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, नकल आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा खाला क्यार, पटवार वृत्त खाला क्यार में जगत सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम खाला क्यार व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को जगत सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2017 को असागतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 5/13 ऑफ 2017

ता0 मजरूआ : 25-05-2017

मुकद्दमा :

सेहत ईन्द्राज

प्रार्थी श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम मोतीपुर, पी0 ओ0 दाड़ो देवरिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

वादी।

बनाम

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम मोतीपुर, पी० ओ० दाड़ो देवरिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम श्री उपेन्द्र सिंह दुरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री उपेन्द्र सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावड़ी, उप-तहसील नारग में श्री उपेन्द्र मोहन सिंह दर्ज है, अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावड़ी, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर श्री उपेन्द्र मोहन सिंह के स्थान पर श्री उपेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी के नाम श्री उपेन्द्र सिंह राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावड़ी में श्री उपेन्द्र मोहन सिंह के स्थान पर श्री उपेन्द्र सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-08-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, उप-तहसील ऊना,
जिला ऊना (हि० प्र०)

नोटिस बनाम : आम जनता

श्री त्रिलोक चन्द

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री हजारी लाल, निवासी गांव रायेपुर सहोडा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी माता तृप्ता देवी की मृत्यु गांव रायेपुर सहोडा में दिनांक 14-11-2011 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 जुलाई, 2017

संख्या 3-1/2017-ई.एल.एन.-III.—भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन-2017 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (महासचिव, राज्य सभा) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को जारी की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को, अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर

एवं

महासचिव, राज्य सभा का कार्यालय

प्रपत्र 5

(राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 6 देखें)

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.	श्री गोपालाकृष्णा	न्यू डोर नं0 7, 2nd सीवार्ड रोड, थिरुवनीमीयूर (पूर्व), चैन्नई-600041.
2.	श्री वैकेया नायडु एम.	हाउस नं0 जी-11, 8th मेन रोड, 12th क्रॉस रोड, मल्लेश्वरम, बैंगलुरु-560003.

नई दिल्ली,
दिनांक 21 जुलाई, 2017

शमशेर के. शरीफ
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017
के लिए रिटर्निंग ऑफिसर
एवं
महासचिव, राज्य सभा।

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR THE VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017

AND

SECRETARY-GENERAL, RAJYA SABHA

FORM 5

(See rule 6 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974)

**Election to the Office of Vice-President of India
LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1.	Shri Gopalakrishna	New Door No. 7, 2 nd Seaward Road, Thiruvannamiyur (East), Chennai-600041
2.	Shri Venkaiah Naidu M.	House No. G-11, 8 th Main Road, 12 th Cross Road, Malleshwaram, Bengaluru-560003

New Delhi;
Dated the 21st of July, 2017

**SHUMSHER K. SHERIFF
RETURNING OFFICER FOR THE
VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017
AND
SECRETARY-GENERAL,
RAJYA SABHA**

